राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः– शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बरः–56/2019

1. खेमचन्द (मृतक)पुत्र सांवलराम
   1/1 सीतादेवी पत्नी स्व. खेमचंद
   1/2 सरोज पुत्री स्व. खेमचंद
   1/3 विजयकुमार पुत्र स्व. खेमचंद
2. बनवारी लाल पुत्र सांवलराम
3. कमलादेवी पुत्री भगवानाराम
4. शुभकरण पुत्र भगवानाराम
5. सुखदेवाराम पुत्र भगवानाराम

– समस्त जाति जाट निवासीगण नांद का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी नांद का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र ओंकारमल जाति जाट निवासी नांद का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
3. जगमाल पुत्र पितराम जाति जाट निवासी नांद का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिसाउ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
5. बडौदा राजसीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
6. आई डी बइ आई बैंक लि. बैंक शाखा झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार मलसीसर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धा 251ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक :– 30.03.2021

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अ.धा. 251(क) मय शपथ पत्र के जरिये अधिवक्ता इस आशय का पेश किया की ग्राम नांद का बास पटवार हल्का चुड़ैला बाबत नया रासता चाहने का पेश किया है। आवेदक सं. 01 व 02 का खेत ख.न. 238 रकबा 3.45 है0 ग्राम नांद का बास में स्थित है। आवेदक सं. 3, 4, 5 का खेत ख.न. 239 रकबा 2.71 है0 भूमि नांद का बास में स्थित है। ख.न. 238 में जाने के लिए नजरी नक्शा में A B C D दर्शाया गया है। नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता A से B ख.न. 285/242 व 244, B से C ख.न. 241, C से D ख.न. 239 के अलावा ख.न. 238 में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अनावेदक संख्या 01 लगायत 03 ग्राम नांद का बास के रहने वाले है। गांव के पास ख.न. 166 रकबा 9.63 है0 चारागाह भूमि स्थित है। उक्त चारागाह भूमि से नजरी नक्शा में अंकित मार्क A B C D खेत का पुराना रास्ता रहा है। जिसमें मार्क A से B तक 10 फुट चौड़ा रास्ता मौके पर मौजुद है। मार्क A से B के मध्य महेन्द्र व जगमाल अनवोदक सं. 192 की खातेदारी की भूमि हैं। जिन्होंने रास्ता नहीं रोक रखा है। मार्क B से C अनावेदक सं. 01 मोहनलाल का खेत है जो ख.न. 241 है जिसने B से C रास्ते में अवरोध पैदा कर रखा है। मार्क C से D रास्ता चालु हालात में है। उक्त रास्ता पूर्व से रहा है। जिसको आवेदकगण 12 फुट चौड़ा करवाना चाहते है। उक्त प्रार्थना पत्र Enlarging the existing way बाबत है। मार्क B से C ख.न. 241 का खातेदार ने रास्ता अवरूध कर रखा है। आवेदकगण संख्या 01 लगायत 05 के खेत में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदकगण की अत्यन्तिक आवश्यकता हैं मार्क A से D की भूमि के लिए आवेदकगण डी. एल.सी. दर के भुगतान करने के लिए तैया हैं या रास्ते में जो भूमि जाती हैं वो खातेदारों को देने के लिए तैयार हैं।

अनावेदकगण 2 व 3 बावजूद तामिल सुचना के तथा बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अप्रार्थी सं. 03 के खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही को अपास्त कर जबाब प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया गया। अप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तों का भी अध्ययन एवं मनन किया।

तहसीलदार मलसीसर को मौका जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम नांद का बास में हाल ख.न. 166 किस्म गै0मु0 चारागाह में से होकर एक प्रचलित रास्ता ख.न. 285/242 के पूर्वी सीमा से होकर ख.न. 241 के मध्य से होकर ख.न. 239 कि पूर्वी सीमा होकर ख.न. 238 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे प्रचलित कदिमी रास्ता पूर्व से होकर जाता था, यह रास्ता राजस्व रिकार्ड नक्शा शीट में कटानी रास्ता नहीं हैं लेकिन वर्तमान में मौके पर रास्ता मौजूद हैं। वर्तमान में यह रास्ता ख.न. 166 से होकर ख.न. 285/242 तक खुला व चालु है। इसी रास्ते से ख.न. 239 व ख.न. 238 से काश्तकार कृषि कार्यों हेतु आनाजाना किया करते थे। ख.न. 285/242 के

उपखण्ड अधिकारी

दक्षिणी सीमा के रास्ते हुए ख.न. 241 के खातेदार द्वारा उक्त रास्ते पर उत्तरी व दक्षिणी सीमा जहां से रास्ता जाता है। वहां पर दोनो तरफ से रास्ते पर तारबंदी व गेट लगाकर रास्ता बंद कर रखा है। उक्त रास्ता ख.न. 239 में चालु है जो ख.न. 238 की उत्तरी सीमा तक जाता हैं। ख.न. 241 का खातेदार ख.न. 252 किस्म गै0मु0 चारागाह से अस्थाई आना–जाना कर रखा है। ख.न. 238 व 239 के खातेदार ख.न. 285/242 व 241 में से ही होकर शुरू से पूर्वजों से ही आना–जाना करके कृषि कार्य किया करते थे। ख.न. 285/242 की पूर्वी सीमा पर 184 X 2= 368 वर्ग मीटर, ख.न. 244 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 184 X 2= 368 वर्ग मीटर, ख.न. 241 के मध्य से 150 X 4 = 600 वर्ग मीटर, ख.न. 239 की पूर्वी सीमा पर 150 X 4 = 600 वर्ग मीटर कुल 2056 वर्ग मीटर भूमि में रास्ता ख.न. 238 में जाने के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार कुल खसरा नम्बरों में से 2056 वर्ग मीटर भूमि रास्ते में जाती है। वर्तमान में ख.न. 238 में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया उक्त रास्ता उपयुक्त हैं नजरी नक्शा अंकित है।

प्रार्थना पत्र पर श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण को वांछित रास्ता कीमतन दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया। उक्त विवेचन से साबित होता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.न. 239 व 238 में आने–जाने के लिए उक्त वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित रास्ता किमतन दिया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार मलसीसर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नांद का बास के ख.न. 285/242 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 184 X 2 = 368 वर्ग मीटर, ख.न. 244 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 184 X 2 = 368 वर्ग मीटर, ख.न. 241 के मध्य से 150 X 4 = 600 वर्ग मीटर, ख.न. 239 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 180 X 4 = 720 वर्ग मीटर कुल 2056 वर्ग मीटर ख.न 238 में जाने के लिए डी.एल.सी. दर के दो गुणा कीमत पर रास्ता कायम किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर रास्ते की कीमत तय करें तथा नियमानुसार रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि की कीमत का खातेदार को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें तथा उक्त रास्ता कायमकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा में तरमीम कर राजकीय रास्ता अंकित करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर